

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 6/12/2019

क्रमांक एफ 1-70/2019/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित उम्मीदवारों को हिन्दी विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रु. 57,700/- के साथ अकादमिक स्तर 10 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थापना देते हुए अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है -

क्र.	लो.से.आ. की चयन सूची का क्रमांक/ चयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।
1	1/2019	नटवर सिंह राठौर, विवेकानंद कॉलोनी नयापूरा तराना तहसील तराना जिला उज्जैन (मध्यप्रदेश)	शासकीय महाविद्यालय, तराना, Dist.- उज्जैन
2	2/2019	देवीसिंह सिसोदिया, गाँव अमदर पोस्ट सेहरा तहसील जिला बेतुल मध्य प्रदेश पिन कोड 460001	शासकीय महाविद्यालय, घोड़ाडोंगरी, Dist.- बैतूल
3	3/2019	नन्दकिशोर पटेल, ग्राम झमटुली पोस्ट झमटुली तहसील राजनगर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश	शासकीय महाराजा महाविद्यालय, छतरपुर, Dist.- छतरपुर
4	4/2019	कृष्णा पराते, वार्ड न. ०९ राज प्रिंटिंग प्रेस के सामने वारासिवनी जिला बालाघाट	शासकीय शंकरलाल पटेल कला एवं विधि महाविद्यालय, वारासिवनी, Dist.- बालाघाट
5	5/2019	ललिता लोधा, एल २/१२८ किटीयानी कॉलोनी मंदसौर	शासकीय कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रतलाम, Dist.- रतलाम
6	6/2019	बरखा श्रीवास्तव, क्वार्टर नंबर एन-३ ओल्ड रेल पुलिस लाइन हप्सी बिचौली इंदौर ४५२०१६	शासकीय महाविद्यालय, सांवेर, Dist.- इंदौर
7	7/2019	घनश्याम सिंह, ग्राम रुपाहेड़ा तहसील बड़नगर पोस्ट बमनापति जिला उज्जैन	शासकीय महाविद्यालय, महिदपुर, Dist.- उज्जैन
8	8/2019	कवीन्द्र कुमार भारद्वाज, जी-1,10-सी,वैभव नगर,कनाड़िया रोड,पाटीदार हाउस के पास(65-सी के सागने),इंदौर-452016,मध्य प्रदेश	शासकीय महाविद्यालय, हाटपिपल्या, Dist.- देवास
9	9/2019	सीमा जैन, ११६, वार्ड नं.16, बालागंज, मंदसौर	शासकीय स्नातको महाविद्यालय, मंदसौर, Dist.- मंदसौर



122	133/2019	अनिता बिरला, ग्राम बांगरदा तहसील सनावद जिला खरगोन	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, हरदा, Dist.- हरदा
123	134/2019	डॉ मंशाराम बघेल, ग्राम करौंदिया खुर्द पोस्ट नगर तहसील मनावर जिला धार मध्य प्रदेश	शासकीय महाविद्यालय, पाटी, Dist.- बड़वानी
124	135/2019	हेमन्त शाक्य, मीट मार्केट रोड गली नं. 1हरीपुरा डबरा जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश	शासकीय महाविद्यालय, पृथ्वीपुर, Dist.- टीकमगढ़
125	136/2019	संगीता सिंह गुलाबपुरी, बड़ागांव नौरा ग्वालियर	शासकीय महाविद्यालय, श्योपुर, Dist.- श्योपुर
126	137/2019	रमेश वसुनिया, ग्राम पोस्ट माथना तह० चंद्रशेखर आजाद नगर जिला अलीराजपुर	शासकीय भगतसिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जावरा, Dist.- रतलाम
127	138/2019	डॉ मीना राठौर, 62 शास्त्री नगर खंडवा तहसील जिला खंडवा	शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, हरदा, Dist.- हरदा
128	139/2019	प्रियंका जायसवाल, ग्राम पोस्ट -दरबारी,तहसील चितरंगी,जिला सिंगरौली,मध्यप्रदेश	शासकीय महाविद्यालय, बैढन, Dist.- सिंगरौली
129	140/2019	दृज लाल अहिरवार, ग्राम और पोस्ट करिया तहसील सिमरिया जिला पन्ना मध्यप्रदेश 488442	शासकीय महाविद्यालय, दीमरखेड़ा, Dist.- कटनी
130	141/2019	इन्द्रपाल राऊत, मु एलकापर पोस्ट मुंगनापार तहसील बिछुआ जिला छिंदवाड़ा	शासकीय कला महाविद्यालय, सौंसर, Dist.- छिंदवाड़ा
131	142/2019	विजय कुमार शुक्ला, ग्राम पोस्ट बछौन तहसील चंदला जिला छतरपुर मध्य प्रदेश	शासकीय महाविद्यालय, जतारा, Dist.- टीकमगढ़
132	143/2019	डॉ. अनुकूल सोलंकी, १०९ न्यु देवास रोड दूवे का बगीचा वल्लभ नगर इंदौर ४५२००३	शासकीय महाविद्यालय, गुलाना, Dist.- शाजापुर
133	144/2019	संजीव कुमार विश्वकर्मा, 186 ग्राम नंदरई तहसील पथरिया जिला दमोह 470666	शासकीय महाविद्यालय, लवकुशनगर, Dist.- छतरपुर
134	145/2019	सुनीता यादव, यादव पूरा इछावर	शासकीय महाविद्यालय, गोपालपुर, Dist.- सीहोर



225	240/2019	संगीता धुर्वे, वार्ड नंबर ६ पांडव नगर प्राइमरी स्कूल के पास शहडोल	शासकीय महाविद्यालय, बाड़ी, Dist.- रायसेन
226	241/2019	लवीना जिनामा, 117/118 अयोध्यापुरी कॉलोनी, कोदरिया, महू, जिला-इंदौर	शासकीय महाविद्यालय, छापीहेडा, Dist.- राजगढ़

2. मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार ये नियुक्तियां पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर रहेंगी।
3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहे हैं, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।
4. उपर्युक्त नियुक्ति मेडीकल बोर्ड से उपयुक्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है। मेडीकल बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।
5. अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार राज्य शासन के सेवक होंगे तथा ये राज्य-शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत नियुक्ति के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे एवं इनका पालन करना इनके लिए अनिवार्य होगा। विशेषतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएं मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम, 1961 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अधीन होंगी।
7. वित्त विभाग परिपत्र क्रमांक एफ-9/3/2003/नियम/चार, दिनांक 13.04.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होगा, नियुक्त उम्मीदवारों को परिभाषित अंशदान पेंशन योजना की पात्रता होगी। इसी प्रकार मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/1/2005/नियम/चार दिनांक 2.4.2005 के अनुसार मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि नियम लागू नहीं होगा।
8. यदि किसी उम्मीदवार ने राज्य सरकार के किसी अन्य शासकीय विभाग में वर्ष 2005 के पूर्व से सेवारत रहते हुए इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने से पूर्व विधिवत अनुमति प्राप्त की है तथा उच्च शिक्षा विभाग की सेवा में वह कार्यभार ग्रहण करता है तो पूर्व विभाग की सेवा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976 के तहत मान्य करने हेतु उसके द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर शायन स्तर से उक्त नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी।
9. नियुक्त उम्मीदवार के द्वारा एक माह का नोटिस दिये बिना या उसके एवज में एक माह का वेतन भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्त(5) के अंतर्गत देय रकम उससे भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूल होगी।
10. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रचलित नियमानुसार आरक्षित संवर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि प्रदायकर्ता से कराने पर त्रुटि पायी जाती है तो संबंधित की सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त मान्य होंगी।
11. सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-3/2013/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 17.07.2014 के अनुसार नियुक्त निःशक्तजनों के निःशक्तता प्रमाण - पत्र का परीक्षण कार्यभार ग्रहण कराये जाने के पूर्व संबंधित जिला



मेडीकल बोर्ड से कराया जाये। जांच में 40 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता पाई जाती है तभी उनको प्राचार्य द्वारा कार्यभार ग्रहण कराया जाये, अन्यथा नहीं। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2015/आ.प्र./एक,भोपाल,दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक-बधिर श्रेणी के नि:शक्तजनों के लिए बैरा-टेरट कराना अनिवार्य है।

12. नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन विभाग द्वारा किया गया है, तथा शासकीय सेवा हेतु आवश्यक शपथ-पत्र लिए गए हैं। अभ्यर्थियों से वांछित अभिलेखों तथा शपथ-पत्रों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है। पदभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित प्राचार्य उन सभी अभिलेखों की एक सत्यापित प्रति नियुक्त अभ्यर्थी से प्राप्त करेंगे जो उन पर लागू होते हैं तथा मूल अभिलेखों से मिलान करेंगे सही पाये जाने पर उक्त अभिलेख सेवा - पुस्तिका में संधारित किये जाएंगे। यदि अभिलेखों के आधार पर कोई गंभीर त्रुटि पाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्राचार्य विशेष वाहक के द्वारा वस्तुस्थिति के उल्लेख के साथ पत्र भेजकर शासन से तत्काल समाधान प्राप्त करेंगे तथा समाधान प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

13. शासकीय नियमानुसार कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

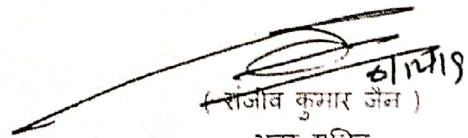
14. शासकीय या अर्धशासकीय विभाग/निकाय में कार्यरत उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण के समय पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र या धारणाधिकार स्वीकृति का पत्र या त्यागपत्र स्वीकृति का पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि इनमें से कोई एक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार द्वारा इस चयन के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने नियोक्ता से ली गई अनुमति का पत्र प्रस्तुत करने पर प्राचार्य द्वारा सशर्त कार्यभार ग्रहण कराया जा सकेगा, परन्तु वेतन का आहरण अनिवार्य अभिलेख को प्रस्तुत करने तक लंबित रखा जाएगा।

15. यदि इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में चयनित पद एवं स्थान पर नियुक्त उम्मीदवार द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया तथा नियुक्तकर्ता से कार्यभार ग्रहण करने की अवधि यथोचित कारणों से बढ़ाने की अनुमति भी नहीं प्राप्त की गई तो नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

16. इस आदेश द्वारा नियुक्त सभी उम्मीदवारों की ये नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालयों में प्रचलित या इस विषयवस्तु से जुड़ी अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये या दिये जाने वाले अंतरिम आदेशों/अंतिम आदेशों के अध्वधीन हैं। माननीय न्यायालय के आदेशों के परिणाम में यह नियुक्ति आदेश कभी भी संशोधित किया जा सकता है एवं किसी नियुक्त उम्मीदवार की सेवा उपरांत कंडिका (5) से मुक्त होकर तत्काल प्रभाव से शासन द्वारा समाप्त भी की जा सकती है।

17. इन नियुक्तियों में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1)के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है, तथा उक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को उपस्थिति के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजीव कुमार जैन)

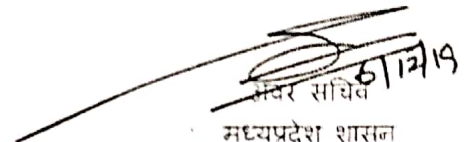
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक एफ 1-70/2019/38/1

भोपाल, दिनांक 6/12/2019

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग,
 2. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
 3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश न्वालियर,
 4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
 5. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
 6. संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र.,
 7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, म.प्र., भोपाल,
 8. संबंधित संभागीय चिकित्सा अधिकारी, म.प्र.,
 9. संबंधित जिला कोषालय, अधिकारी, म.प्र.,
 10. संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र. की ओर लेख है कि संबंधित सहायक प्राध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत विभागीय वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कराना सुनिश्चित करें,
 11. संबंधित.....
 12. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


 मन्वर सचिव
 मध्यप्रदेश शासन
 उच्च शिक्षा विभाग